

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, March 08, 2016


In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act 1951 (Act No.11 of 1951) and in supersession of this department's notification number F.6(266)/pari/tax/Hqrs/2006/8636-79, dated 15.05.2015, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby exempts Special Road Tax payable exceeding Rupees 12500/- per month under section 4-B of the said Act, on the air conditioned passenger vehicles, except sleeper coach having seating capacity more than 12 including driver, subject to the following conditions, namely:-

- (i) that the Vehicle shall be registered in the State of Rajasthan in the name of tourist transport operator;
- (ii) that the tourist permit of the vehicle shall be issued by competent authority of State of Rajasthan in the name of recognized tourist operator; and
- (iii) that the tourist transport operator shall be recognized by Ministry of Tourism, Government of India or Tourism Department, Government of Rajasthan, Indian Association of Tour Operators (IATO) and Rajasthan Association of Tour Operators (RATO) and approved as such by the Transport Commissioner.

This notification shall have effect from 01.04.2016 and shall remain in force upto 30.04.2018.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27B]

By order of the Governor,


(Dr. Manisha Arora)

Joint Secretary to Government


परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(266)परि/टैक्स/एचक्यू/2006/8636-79, दिनांक 15.05.2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ड्राइवर को सम्मिलित करते हुए 12 से अधिक की बैटक क्षमता वाले स्लीपर कोच से भिन्न, वातानुकूलित यात्री यानों पर उक्त अधिनियम की धारा 4-ख के अधीन 12,500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक संदेय विशेष सड़क कर से, निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, इसके द्वारा छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

- (i) यह कि यान राजस्थान राज्य में पर्यटक परिवहन संचालक के नाम से रजिस्ट्रीकृत होगा;
- (ii) यह कि यान का पर्यटक परमिट मान्यता प्राप्त पर्यटक संचालक के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा; और
- (iii) यह कि पर्यटक परिवहन संचालक पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार या पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्यूर ऑपरेटर्स और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ ट्यूर ऑपरेटर्स से मान्यता प्राप्त होगा और परिवहन आयुक्त द्वारा इसी रूप में अनुमोदित होगा।

यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2016 से प्रवृत्त होगी और 30.04.2018 तक प्रवृत्त रहेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27बी]
राज्यपाल के आदेश से,


डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव